रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228937
CG-DL-E-12082021-228937

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943
No. 458] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SHRAVANA 21, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 570(अ).—विदेशी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1992 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा, विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 (1939 का 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव है, को एतदद्वारा उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ उक्त धारा की अपेक्षानुसार प्रकाशित किए जाते हैं और एतदद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि बीत जाने पर या उसके बाद उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर विचार किया जाएगा।

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर संयुक्त सचिव (विदेशी), गृह मंत्रालय, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, नई दिल्ली –110002 को ई-मेल द्वारा jsf@nic.in मेल पते पर भेजे जा सकते हैं।

"प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को विदेशी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाए।

(2) वे राजपत्र में उनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1992 में.-

(i) नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) और निम्नलिखित स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ii) नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (ङ) का लोप किया जाएगा;

(iii) नियम 7 के उप-नियम (3) के पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iv) नियम 7 के उप-नियम (3) के दूसरे परंतुक में 'परंतु' शब्द के बाद 'यह और' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(v) नियम 15 का लोप किया जाएगा;

(vi) प्ररूप ख का लोप किया जाएगा।

(vii) नियम 17 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"**18. रिपोर्ट आदि को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाना.–** इन नियमों में विहित कोई रिपोर्ट या आवेदन संबंधित प्राधिकारी को ऐसे प्राधिकारी द्वारा यथानिर्देशित रीति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जाएगी। संबंधित प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की वास्तविकता का सत्यापन करेगा और, यदि वह आवश्यक समझे, तो संबंधित व्यक्ति को निजी रूप से उपस्थित होने हेतु बुलाने के लिए स्वतंत्र होगा।"

[फा. सं. 25022/43/2021-एफ-I]

सुमन्त सिंह, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 318(अ) दिनांक 10 मार्च, 1992 के तहत प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 324(अ) दिनांक 18 मार्च, 2016 के तहत उसमें पिछला संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

G.S.R. 570(E).—The following draft rules further to amend the Registration of Foreigners Rules, 1992 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Registration of Foreigners Act, 1939 (16 of 1939), are hereby published as required by the said section for the information of the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be forwarded to the Joint Secretary (Foreigners), Ministry of Home Affairs, Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi – 110002 by email at jsf@nic.in within 30 days from the date of publication of this notification.

"DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Registration of Foreigners (Amendment) Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Registration of Foreigners Rules, 1992.-

   (i) Clause (e) of sub-rule (1) of rule 7 and the explanation below shall be omitted;

   (ii) Clause (e) of sub-rule (2) of rule 7 shall be omitted;

   (iii) First proviso to sub-rule (3) of rule 7 shall be omitted;

   (iv) The word 'further' after the word 'Provided' in the second proviso to sub-rule (3) of rule 7 shall be omitted;

   (v) Rule 15 shall be omitted;

   (vi) Form B shall be omitted.

   (vii) Following rule shall be inserted after rule 17:-

   "**18**. **Reports etc. to be submitted in electronic form.—** Any report or application prescribed in these Rules shall be submitted to the authority concerned in electronic form in the manner as directed by such authority. The Authority concerned shall verify the genuineness of the documents submitted and would be at liberty to call the person concerned for personal appearance, if considered necessary."

[F. No. 25022/43/2021-F-I]

SUMANT SINGH, Jt. Secy.

Note :-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 318(E) dated the 10^{th} March, 1992 and last amended vide number G.S.R.324(E) dated 18^{th} March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.08.12 18:29:05 +05'30'